न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीणा, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
33 / 2022	03.09.2022	04.9.22

पूरण बैरवा पुत्र श्रीचंद बैरवा, निवासी ग्राम तलावडा —वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :—श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के पिता भूमिहीन किसान थे जो ग्राम तलावडा मे कृषि मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन योजना के अंतर्गत जिलाधीश महोदय सवाई माधोपुर के निर्देशन मे आवंटन समिति उप जिलाधीश गंगापुर सिटी एवं हरिप्रसाद पल्लीवाल एम.एल.ए., वीपीत्रिवेदी विकास अधिकार, बृजलाल प्रधान पंचायत समिति एवं देवीराम तहसीलदार, मोहरपाल सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर टटवाडा, नारायण सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ, गोरधनलाल लाल सरपंच ग्राम पंचायत तलावडा, सदस्यों को शामिल करते हुए आवंटन समिति का गठन किया गया और आंवटन समिति द्वारा भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया। आंवटन समिति द्वारा दिनांक 7.11.1975 को वादी के पिता स्व0 श्रीचंद पुत्र डाल्या बैरवा निवासी ग्राम तलावडा को सिवायचक चारागाह भूमि साबिक मूल ख0न0 116 मे से बटा नम्बर 116/5 रकबा 5 बीघा का आंवअन किया गया। वादी के पिता को साबिक ख0न0 116/5 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन किये जाने पर आवंटन समिति के निर्देशानुसार नामान्तकरण पंजिका मे वादी के पिता के नाम नामा. संख्या 251 दिनांक 20.11.1975 को स्वीकार किया गया। भूमि आवंटित होने के पश्चात

लेक्टर
क मजिस्ट्रेट
(स०मा०)

वादी के पिता द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित रूप से कृषि कार्य किया गया। नियमित कृषि कार्य किये जाने के आधार पर खसरा गिरदावरी संवत 2032–35, संवत 2036–39, संवत 2040–43 मे मिन वादीके पिता का नाम दर्ज किया है। नामान्तकरण पंजिका क्रमांक 251 दिनांक 20.11.1975 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2040 से 43, संवत 2036–39 इस तथ्य का दस्तावेजी साक्ष्य है कि वादी के पिता को दिनांक 7.11.1975 को भूमि साबिक खसरा नम्बर 116/5 रकबा 5 बीघा जमीन कृषि कार्य हेतु आंवटित की गई और इसी आधार पर मिन वादी के पिता के नाम नामा0 संख्या 251 दिनांक 20.11.75 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी स्वयं उक्त भूमि मे कृषि कार्य करता चला आ रहा है। वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने के पश्चात आंवटित भूमि साबिक ख0न0 116/5 रकबा 5 बीघा का नियमन मिन वादी के नाम किये जाने हेतु वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 2.9.22 को प्रस्तुत किया गया लेकिन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिए वादी से कहा इस कारण हस्तगत वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पिता श्रीचंद पुत्र डाल्या के नाम आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित कृषि भूमि ख0न0 116 मे से से बटा नम्बर 116/5 रकबा 5 बीघा ग्राम तलावडा का आवंटन दिनांक 7.11.1975 को किया गया था, जिसका नामान्करण भी वाादी के पिता के नाम नामा0 संख्या 251 दिनांक 2.11.1975 को दर्ज किया गया था। का भूमि साबिक ख0न0 116 के नवीन ख0न0 308 रकबा 2.45 है0, ख0न0 325 रकबा 1.51 है0, ख0न0 326 रकबा 0.22 है0, ख0न0 356 रकबा 0.25 है0, ग्राम तलावडा जो कि राजस्व रिकॉर्ड मे चारागाह सिवायचक दर्ज है मे से 5 बीघा भूमि का नियमन मिन वादी के पक्ष मे किया जाकर मिन वादी को आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि ग्राम तलावडा मे स्थित भूमि साबिक ख0न0 116/5 रकबा 5 बीघा का आंवटन श्रीचंद पुत्र डाल्या बैरवा निवासी तलावडा को दिनांक 7.11.75 को किया गया है। दिनांक 7.11.75 को भूमि ख0न0 116/5 रकबा 5 बीघा का आंवटन किये जान के साथ ही साबिक ट्रेस मे भूमि ख0न0 116/5 का सीमाकंन कर कब्जा सुपुर्द किया गया। दिनांक 7.11.75 को श्रीचंद पुत्र डाल्या के पक्ष मे भूमि ख0न0 116/5 बीघा को आवंटन किये जाने के साथ ही श्रीचंद पुत्र डाल्या को भूमि ख0न0 116/5 के लिए नामा0 संख्या 251 दिनांक 20.11.75 को गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया। भूप्रबन्ध कि पश्चात भूमि ख0न0 116/5 को गलत तरीके से गैरखातेदारी से चारागाह मे दर्ज कर यिा गया। साबिक ख0न0 116 के भूप्रबन्ध के पश्चात ख0न0 306 रकबा 0.51 है0, खातेदारी, ख0न0 308 रकबा 1.71 है0, ख0न0 324 रकबा 1.51 है0, ख0न0 326 रकबा 0.22 है0, ख0न0 356 रकबा 0.21 है0 दर्ज किये गये। जिनमे से भूमि ख0न0 306 रकबा 0.51 है0 जितेन्द्र पुत्र मक्खन, विशम्भर पुत्र मक्खन के नाम खातेदारी दर्ज़ है। भूमि ख0न0 308 रकबा 1.71 है0 (2.45 है0) गैर मुमकिन चारागाह, ख0न0 324 रकबा 1.51 है0 गैर मुमकिन चारागाह, ख0न0 326 रकबा 0.22 है0 गैर मुमकिन चारागाह राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है तथा भूमि ख0न0 356 पटवारघर के लिए आवंटित है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल आवंटन आवेदन पत्र श्रीचंद पुत्र डाल्या प्रदर्श 1, नकल कब्जा देने की रिपोर्ट प्रदर्श 2, नकल आवंटन आदेश प्रदर्श 3, 4, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग प्रदर्श 7, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 6, 5, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 514 ग्राम तलावडा प्रदर्श 8, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 582, 246 ग्राम तलावडा प्रस्तुत किये है एवं वादी पूरण बैरवा के बयान पी.डब्ल्यू. 1 एवं गवाह रामेश्वर, विजय पीडब्ल्यू 2, 3 कराये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई।

कलेक्टर
...लक मजिस्ट्रेट
...टी (स०मा०)

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादी वादग्रस्त भूमि ख0न0 308, 325, 326 मे से 5 बीघा भूमि की खातेदारी चाहते है। उपरोक्त खसरा नम्बर 324, 326 ग्राम तलावडा जमाबंदी संवत 2070—73 प्रदर्श 8 के अनुसार गैर मुमकिन चारागाह भूमि है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है तथा 356 ग्राम तलावडा, पटवार एवं भू अभिलेख निरीक्षक तलावडा के भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-2-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी